भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

क्र. /बीपीएल/भाविप्रा/भोपाल / सुरक्षा/DGR/8003-Prashant/2024/1073 दिनांक 19 .12.2024

प्रति,

8003-Gr. Capt. Prashant Kumar Choubey,
M/s. 8003 Prashant Kumar Choubey SA,
Shop No. 01, House No. 1092,
'12 Dukano ke paas' Behind 'Mulla-Colony',
Karond, Bhopal-462038

विषय : भोपाल एयरपोर्ट हेतु 18 DGR 'सुरक्षा गार्ड्स' उपलब्ध कराने हेतु 'कार्यादेश'

महोदय

उपरोक्त विषयांतार्गत डी जी आर के पत्र सं. 4014/ SA/AAI/Bhopal/16 Oct.2024/Madhya Pradesh/8003/8996/8893/8231/res. दि. 16.10.2024 के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली गई निविदा क्र. 2024_AAI_214556 को 'सक्षम-प्राधिकारी' द्वारा आपके पक्ष में मंजूरी प्रदान कर दी गई है | अतः आपको **भोपाल एयरपोर्ट पर 18 (अठारह) सुरक्षा-गार्ड (un-armed) दिनांक 01.01.2025 से नियुक्त करने हेतु** डी.जी.आर. के न्यूनतम वेजेस-रेट के अनुसार, जो कि **अक्टूबर, 2024** से लागू है, पर किया गया है **(संलग्न - 'परिशिष्ट-'ए')**

डी.जी.आर. के नियमानुसार, समय-समय पर न्यूनतम वेजेस-रेट के अनुसार वेतन-वृद्धि या कमी की जाती है, उसका भुगतान वास्तविक भुगतान के आधार पर किया जायेगा |

कांट्रेक्ट की अवधि 01 वर्ष (दि. 01.01.2025 से 31.12.2025.तक) होगी | कार्य-संतुष्टि की दशा में, सक्षम-प्राधिकारी की अनुमति-पश्चात् ही अतिरिक्त 06 माह हेतु बढ़ाया जा सकेगा |

उपरोक्त वर्णित डी.जी.आर.-पत्र के निर्देशानुसार, दस्तावेजों की मूल-प्रति के साथ आप स्वयं 'अधोहस्ताक्षरी' के कार्यालय में उपस्थित होकर 'करारनामे' को पूरा करें |

निम्नलिखित शर्तों / गाइडलाइनों का पूर्व सैनिक सिक्युरिटी एजेंसी द्वारा स्टेशन पर सुरक्षा-गार्ड लगाये जाने से पूर्व कड़ाई से पालन किया जाना होगा –

1. डी.जी.आर. के नियमानुसार, एक माह की 'लाइसेंस-फीस' की 10% के बराबर रकम है, को 'सिक्युरिटी-एजेंसी' के द्वारा 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण' के नामे भोपाल पर देय 'डिमाण्ड-ड्राफ्ट' के रूप में 'S.D. लाइसेंस' चालू करने के पहले जमा कराना होगा, या प्रथम माह के बिल में से उक्त राशि काट ली जाएगी |
2. 'सुरक्षा-एजेंसी' द्वारा प्रदत्त सभी **18 (अठारह)** 'सुरक्षा-गार्ड्स', गार्ड के रूप में कार्य, 'सुरक्षा-अनुभाग' से प्राप्त निर्देशानुसार कार्य, सभी प्रकार के रिकार्ड का संधारण, फाइलों व रजिस्टरों का संधारण आदि करने में सक्षम हो |
3. 'सुरक्षा-गार्ड' को मिलने वाले वेतन में DGR / सरकार द्वारा संशोधन किए जाने पर और GST में संशोधन होने पर उक्त संशोधन के अनुसार बदला जायेगा |
4. DGR के निर्देशों के अनुसार, 'पूर्व-सैनिक' सिक्योरिटी-क्लर्क को प्रतिमाह चैक एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक-माध्यम द्वारा भाविप्रा के प्रतिनिधि की उपस्थिति में भुगतान किया जाना है |
5. 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' को दिया गया कार्य किसी अन्य व्यक्ति / एजेंसी को आगेsublet नहीं किया जा सकेगा |
6. 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' द्वारा लगाये गए 'सुरक्षा-गार्डों' का 'चरित्र-सत्यापन' सम्बंधित पुलिस-प्राधिकारी द्वारा उनके कार्य पर नियोजन से पहले कराना होगा |

मुख्य सुरक्षा अधिकारी
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजा भोज विमानपत्तन, भोपाल

कार्यालय विमानपत्तन निदेशक, राजाभोज विमानपत्तन भोपाल (मध्य प्रदेश)–462036 दूरभाष : 0755-2646111-17 फैक्स : 0755-2646002/3
O/o The Airport Director, Raja Bhoj Airport, Bhopal (Madhya Pradesh)–462036 Telephone : 0755-2646111-17, Fax : 0755-2646002/3

7. 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' ही एक मात्र रूप से सभी कानून को पालन करने हेतु जिम्मेदार होगी व सभी 'श्रम-नियमों' व भत्तों के भुगतान हेतु 'DGR-Guidelines' का पालन करना होगा एवं इस प्रकार के 'सुरक्षा-गार्ड' को लगाने पर होने वाली समस्त औपचारिकताओं को पूरा करना होगा एवं इस प्रकार के 'सुरक्षा-गार्ड' को लगाने पर होने वाली समस्त स्थानीय-औपचारिकताओं को पूरा करना होगा|
8. 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' को उचित-मूल्य के स्टाम्प-पेपर पर तीन कॉपी में इस कार्य हेतु अनुबंध कराना होगा एवं इस पर अपना फोटो सत्यापित कर, लगवाना होगा| इस अनुबंध के प्रत्येक पन्ने पर 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' एवं 'भाविप्रा' को हस्ताक्षर करने होंगे|
9. 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' एवं 'भाविप्रा' का लाइसेंस एक सप्ताह के नोटिस पर बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकेगा|
10. 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' के 'empanelment' के पांच साल पहले 'Security & Fighting Course' किया होना चाहिए ओ DGR के प्रयोजन के उपरान्त भी यह कोर्स किया होना चाहिए}
11. 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' के पास नियमानुसार, राज्य-सरकार से जारी 'श्रम-लाइसेंस' व 'पंजीकरण-प्रमाण-पत्र' एवं अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए|
12. DGR के निर्देशों के अनुसार यदि 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' के पास एफ़्फ़, ESI, GST व 'श्रमिक-लाइसेंस' न हो तो 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' को उक्त लाइसेंस प्राप्त करना / 'रजिस्ट्रेशन' कराना इस कार्य के अवार्ड के 45 दिन के अन्दर कराना होगा एवं कागजात इस कार्यालय में 'तय-अवधि' में प्रस्तुत करने होंगे|
13. 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' को बैंक से अपने बैंक-खातों को सत्यापित कराते हुए बैंक-खाता प्रदान व उसे परिचालित करने हेतु अधिकृत-व्यक्ति का नाम, पता इस कार्यालय में जमा कराना होगा|
14. 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' को अपना पूर्ण पता व मोबाइल / टेलीफोन / फैक्स नं. / ई-मेल पता सूचित करना होगा|
15. 'सिक्योरिटी-एजेन्सी' को DGR द्वारा जारी निर्देशों, नियमों व गाइडलाइंस का पालन करना होगा व इस प्रकार की 'Undertaking' देनी होगी कि एजेंसी समस्त DGR-नियमों, निर्देशों व गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं| इस सम्बन्ध में ऐजेंसी को सुरक्षा-गार्ड्स लगाने से पहले DGR / AAI के नियम व शर्तों के पालन करने की सहमति देनी होगी|
16. मासिक-बिल सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रत्येक माह की सात तारीख के पूर्व 'मुख्य सुरक्षा-अधिकारी', भाविप्रा, भोपाल एयरपोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ|
17. भोपाल एयरपोर्ट के 'मुख्य सुरक्षा-अधिकारी', सुरक्षा-गार्ड के नियोजन हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे व मासिक-बिलों को सत्यापित करने व तत्संबंधी रिकार्ड को संधारित करने हेतु उत्तरदायी होंगे|
18. ऐजेंसी को प्रत्येक गार्ड के लिए 'Workmanship & Compensation Act' के अनुसार, 'Mediclaim-Policy' लेनी होगी तथा इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी|
19. 'टेंडर-दस्तावेज' में वर्णित सभी बिन्दुओं का पालन करना होगा|
20. इस 'कार्य-आदेश' का 'स्वीकृति-पत्र' 03 दिवस में इस कार्यालय में जमा करें|
21. 'सुरक्षा-गार्ड' को लाठी और टार्च उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी 'सुरक्षा-एजेंसी' की होगी|
22. 'सुपरवाइजर' को ड्यूटी के दौरान मात्र फोन-काल कम्युनिकेशन (संचार) हेतु कार्यालयीन-'की-पेड' वाला ('फीचर' मोबाइल) मोबाइल फोन 'सुरक्षा-एजेंसी' द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, ना कि 'इंटरनेट' / 'मोबाइल-डाटा' वाला 'स्मार्ट-फोन' | 'फोन-उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी 'सुरक्षा-एजेंसी' की होगी तथा इसका रखरखाव तथा व्यय 'सुरक्षा-एजेंसी' करेगी|

<u>संलग्न</u> : उपरोक्तानुसार 'परिशिष्ट-ए'

(हस्ताक्षर)
(आकाश तिवारी)
मुख्य सुरक्षा अधिकारी,
कृते-विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
राजा भोज विमानतल भोपाल

(मुहर: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, मुख्य सुरक्षा कार्यालय भोपाल)

<u>प्रतिलिपि</u> -

1. विमानपत्तन निदेशक, भाविप्रा, राजा भोज विमानतल, भोपाल- सूचनार्थ|
2. सहा. महाप्रबंधक (वित्त), भाविप्रा, राजा भोज विमानतल, भोपाल- सूचनार्थ|
3. कमान्डेंट, सी.आई.एस.एफ., भोपाल एयरपोर्ट इकाई, भोपाल - सूचनार्थ|
4. उप महाप्रबंधक (एयरपोर्ट-आप्स) / DTM, भाविप्रा, राजा भोज विमानतल, भोपाल- सूचनार्थ|
5. Directorate of Resettlement, Zone-C, Govt. of India, Ministry of Defence, ... Lucknow Cantt.-02

212

Signature Not Verified
Digitally signed by AKASH TIWARI
Date: 2025.06.04 11:20:38 IST
Location: eProcurement System for Central PSUs